संख्या-40/2024/2023/77-6-24-6099/323/2022 पार्ट-11

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

इन्वेस्ट यू0पी0।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ: दिनांक 22-08-2024**

विषयः उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति के आधार पर बृहद श्रेणी की सात इकाईयों को एल.ओ.सी निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1248/77-6-2024-6099/228/2023 दिनांक 09.07.2024 एवं पत्र संख्या-1592/77-6-2024-6099/228/2023 दिनांक 23.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत इम्पावर्ड कमेटी की सम्पन्न बैठक क्रमश: दिनांक 14.05.2024 एवं दिनांक 04.07.2024 का कार्यवृत्त निर्गत किया गया है।

2- इम्पावर्ड कमेटी की उक्त बैठक दिनांक 14.05.2024 को बृहद श्रेणी की 02 इकाईयों एवं दिनांक 04.07.2024 को बृहद श्रेणी की 05 इकाईयों द्वारा दिये गये आवेदन पर विचार-विमर्श किया गया।

3- उपर्युक्त सात औद्योगिक इकाईयों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है-

1. महामाया इस्पात एण्ड एलॉयज प्रा0लि0, धहुआ, मिर्जापुर/पूर्वांचल

प्रश्नगत इकाई द्वारा टीएमटी, विलेट एवं स्पॉन्ज आयरन व 4 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है जिसमें रू. 127.27 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है। निवेश आरम्भ किये जाने की तिथि 17.02.2023 बतायी गई है। निवेश दो चरणों में प्रस्तावित है। परियोजना पूर्ण होने की तिथि 21.04.2026 बतायी गई है। प्रस्तावित निवेश के परीक्षणोपरान्त निम्नवत स्थिति पाई गई है-

क्रमांक	निवेश मद	मूल्य (रू. करोड़ में)	अभ्युक्ति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1	प्रस्तावित निवेश	127.27	
2	घटाया (अपात्र मद)	19.20	स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क-0.54 करोड़, कार्यशील पूंजी हेतु मार्जिन मनी 7.00 करोड़, सिक्योरिटी डिपॉजिट 3.52 करोड़,निर्माण अवधि के दौरान ब्याज 1.58 करोड़, पुराना भवन एवं मशीनरी 6.10 करोड़, प्री-ऑपरेटिव व्यय 0.46 करोड़
3	कुल पूंजी निवेश(1-2)	108.07	
अ	कुल भूमि एवं भवन	21.87	चूंकि कुल भूमि एवं भवन निवेश 30 प्रतिशत से कम है, इसलिए भूमि एवं भवन का कुल मूल्य पूंजी निवेश में सम्मिलित मानते हुए पूंजी निवेश माना जाएगा।
4	पूंजी निवेश	108.07	
	दिनांक 04.11.2022 के पूर्व किया गया निवेश	शून्य	
5	पात्र पूंजी निवेश	108.07	Eligible Capital Investment

2. एशियन पेन्ट लि0, गौतमबुद्धनगर

प्रश्नगत इकाई द्वारा कासना गांव, ग्रेटर नोएडा स्थित प्लांट की उत्पादन क्षमता को 80,000 किलो लि0 से बढ़ाकर 1 लाख किलो लि0 किये जाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें 143.00 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। निवेश आरम्भ किये जाने की तिथि 22.11.2021 बतायी गई है जो कि भूमि अधिग्रहण किया गया है। निवेश एक चरण में प्रस्तावित है। परियोजना दिनांक 19.10.2023 को पूरी हो चुकी है और दिनांक 20.10.2023 को उत्पादन आरम्भ हो गया है। प्रस्तावित निवेश के परीक्षणोपरान्त निम्नवत स्थिति पाई गई है-

क्रमांक	निवेश मद	मूल्य (रू. करोड़ में)	अभ्युक्ति
1	प्रस्तावित निवेश	143.00	
2	घटाया (अपात्र मद)	8.13	विधिक व्यय-1.50 करोड़, कंसल्टेंसी व्यय 6.13 करोड़, एवं राजस्व व्यय 0.50 करोड़
3	कुल पूंजी निवेश(1-2)	134.87	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अ	कुल भूमि एवं भवन	37.77	चूंकि कुल भूमि एवं भवन निवेश 30 प्रतिशत से कम है, इसलिए भूमि एवं भवन का कुल मूल्य पूंजी निवेश में सम्मिलित मानते हुए पूंजी निवेश माना जाएगा।
4	पूंजी निवेश	134.87	
	घटाया- दिनांक 04.11.2022 के पूर्व किया गया निवेश	14.86	
5	पात्र पूंजी निवेश	120.01	Eligible Capital Investment

इम्पावर्ड कमेटी द्वारा यह पाया गया कि कम्पनी द्वारा दिनांक 20.10.2023 से वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ कर दिया गया है। और दिनांक 13.12.2023 को एलओसी दिये जाने हेतु आवेदन किया गया है। अर्थात उत्पादन आरम्भ होने के बाद एलओसी हेतु आवेदन किया गया है।

3. एस.ए. आयरन एंड एलॉयज प्रा.लि.

i. एस.ए. आयरन अलॉयज प्रा. लि. द्वारा चंदौली (पूर्वान्चल) में ₹69.56 करोड़ के प्रस्तावित निवेश से स्पंज आयरन के विनिर्माण हेतु विस्तारीकरण एवं विविधीकरण तथा 2 मेगावाट क्षमता के कैप्टिव सौर संयंत्र के विस्तारीकरण हेतु स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है।

ii. आवेदक द्वारा 'निवेश प्रारम्भ करने की तिथि दिनांक 25.11.2022 इंगित की गई है।

iii. आवेदक द्वारा एकल चरण में निवेश प्रस्तावित है।

iv. परियोजना पूर्ण होने की प्रस्तावित तिथि दिनांक 30.04.2025 है।

v. आवेदक इकाई के प्रस्तावित निवेश की गणना निम्नवत पाई गई है-

क्र.सं.	निवेश शीर्ष	मूल्य (₹ करोड़)	टिप्पणी
1.	प्रस्तावित निवेश	69.56	प्रारूप-2 एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार
2.	अपात्र निवेश (घटाया)	10.41	स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क ₹0.11 करोड सिक्युरिटी डिपॉजिट ₹1.95 करोड़, परामर्श सेवा: ₹0.5 करोड़ एवं संयंत्र एवं मशीनरी पर 18 प्रतिशत का जीएसटी: ₹7.60 करोड़ सम्मिलित हैं।
3.	**कुल पूंजी निवेश (1-2)**	59.15	
a.	भूमि एवं भवन की कुल लागत	12.14	चूंकि भूमि एवं भवन की लागत का कुल योग 30 प्रतिशत से कम है, अतः पूंजी निवेश की गणना में भूमि एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			भवन के कुल मूल्य को विचारित किया जाएगा।
4.	**पूंजी निवेश**	**59.15**	
	घटाया (प्रभावी तिथि 04.11.2022 से पूर्व किया गया निवेश)	शून्य	प्रभावी तिथि से पूर्व कोई निवेश नहीं किया गया है।
5.	*पात्र पूंजी निवेश (ईसीआई)*	59.15	--

नोट- उक्त गणना वास्तविक सत्यापन के अधीन होगी।

1. आवेदक इकाई द्वारा शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति की मांग की गई है, अतः पत्र संख्या जीएसटी ऑडिट/2023-24/212/राज्य कर दिनांक 25 जुलाई 2023 के माध्यम से वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियम एवं शर्तों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 हेतु शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति पर जीएसटी मानक संचालन प्रक्रिया लागू होगी।
2. वाणिज्य कर विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ.नं.-79/जी.एस.टी.ऑडिट/2023-24/65/राज्य कर दिनांक 04 जून 2024 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि विस्तारीकरण एवं विविधीकरण के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों हेतु पृथक जीएसटीआईएन की आवश्यकता नहीं है।

4. सिग्मा मेटल एंड पावर प्रा.लि.

i. सिग्मा मेटल एंड पावर प्रा. लि. द्वारा ₹62.00 करोड़ के प्रस्तावित निवेश से बेसिक आयरन एवं स्टील के विनिर्माण का विस्तारीकरण (बी-60 से बी-62, उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, औद्योगिक क्षेत्र, मालवान जनपद फतेहपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित संयंत्र की वर्तमान/प्रस्तावित क्षमता वृद्धि 72,000 एमटीपीए से 1,80.000 एमटीपीए तक) करने का प्रस्ताव किया गया है।

ii. आवेदक द्वारा 'निवेश प्रारम्भ करने की तिथि 01.01.2022 इंगित की गई है

iii. प्रस्तावित निवेश एकल चरण में किया जाएगा।

iv. आवेदक द्वारा दि. 29.02.2024 को परियोजना पूर्ण कर ली गई है तथा दिनांक 15.01.2024 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया जा चुका है।

v. आवेदक इकाई के प्रस्तावित निवेश की गणना निम्नवत पाई गई है-

क्र.स.	**निवेश शीर्ष**	**मूल्य (₹ करोड़)**	**टिप्पणी**
1.	प्रस्तावित निवेश	62.00	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2.	अपात्र निवेश (घटाया)	5.90	(₹0.05 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी, ₹0.05 करोड़ का पंजीकरण शुल्क एवं ₹5.80 करोड़ की अन्य लागत सम्मिलित है।)
3.	कुल पूंजी निवेश (1-2)	56.10	-
a.	भूमि एवं भवन की कुल लागत	2.40	भूमि एवं भवन की कुल लागत ₹2.40 करोड़ है, जो कुल पूंजी निवेश का लगभग 5 प्रतिशत है। चूंकि भूमि एवं भवन की कुल लागत 30 प्रतिशत से कम है, अतः पूंजी निवेश की गणना में भूमि एवं भवन का फुल मूल्य सम्मिलित किया जाएगा।
4.	**पूंजी निवेश**	**56.10**	
	घटाया (प्रभावी तिथि 04.11.2022 से पूर्व किया गया निवेश)	**4.04**	दिनांक 04.11.2022 से पूर्व निवेश की गई कुल धनराशि 24.09 करोड़ है, जिसमें से ₹0.04 करोड़ स्टाम्प शुल्क एवं ₹0.01 करोड़ पंजीकरण शुल्क है, जिसका भुगतान पूर्व में किया जा चुका है तथा उपर्युक्त पूंजी निवेश की गणना में अस्वीकार किया गया है। अतः ₹4.04 करोड़ की धनराशि अनुमन्य होगी।
5.	**पात्र पूंजी निवेश *(ईसीआई)***	**52.06**	**--**

नोट- उक्त गणना वास्तविक सत्यापन के अधीन होगी।

1. चूंकि आवेदक द्वारा नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति की मांग की गई है, अतः पत्र संख्या जीएसटी ऑडिट/2023-24/212/राज्य कर दिनांक 25 जुलाई 2023 के माध्यम से वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित, नियम एवं शर्तों, तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 हेतु शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति पर जीएसटी मानक संचालन प्रक्रिया लागू होगी।
2. वाणिज्य कर विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ.नं.-79/जी.एस.टी.ऑडिट/2023-24/65/राज्य कर दिनांक 04 जून 2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विस्तारीकरण एवं विविधीकरण के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों हेतु पृथक जीएसटीआईएन की आवश्यकता नहीं है।

5. अम्बा शक्ति इंडस्ट्रीज लि.

i. अम्बा शक्ति इंडस्ट्रीज लि. द्वारा बेसिक आयरन एवं इस्पात विनिर्माण इकाई के विस्तारीकरण का प्रस्ताव दिया गया है। ₹62.96 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के माध्यम से प्लॉट सं. 3 व 4. ए-6. ए-7, ए-8 एवं ए-9/2, सिकंदराबाद औद्योगिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्षेत्र, जनपद बुलंदशहर में स्थित संयंत्र की क्षमता वृद्धि 3.60 लाख मीट्रिक टन से 5.00 लाख मीट्रिक टन तक विस्तारित करने की योजना है।

ii. आवेदक द्वारा भवन, संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश प्रारम्भ करने की तिथि दिनांक 11.04.2023 इंगित की गई है।

iii. प्रस्तावित निवेश एकल चरण में किया जाएगा।

iv. आवेदक द्वारा परियोजना पूर्ण कर दी गई तथा दिनांक 31.03.2024 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया गया।

v. आवेदक इकाई के प्रस्तावित निवेश की गणना निम्नवत पाई गई है-

क्र.सं.	निवेश शीर्ष	मूल्य (₹ करोड़)	टिप्पणी
1.	प्रस्तावित	62.96	-
2.	घटाया(अपात्र पूंजी निवेश)	5.97	(₹4.34 करोड़ के कार्यशील पूंजी हेतु मार्जिन, ₹1.63 करोड़ के निर्माण के दौरान ब्याज सम्मिलित हैं।)
3.	कुल पूंजी निवेश (1-2)	56.99	-
अ	भूमि एवं भवन की कुल लागत	3.00	भूमि एवं भवन की कुल लागत ₹3.00 करोड़ है, जो कुल पूंजी निवेश का कुल 5 प्रतिशत है। चूंकि भूमि एवं भवन की लागत का कुल योग 30 प्रतिशत से कम है, अतः पूंजी निवेश की गणना में भूमि एवं भवन के कुल मूल्य को सम्मिलित किया जाएगा।
4.	**पूंजी निवेश**	**56.99**	
	घटाया (प्रभावी तिथि 04.11.2022 से पूर्व किया गया निवेश)	**शून्य**	प्रभावी तिथि से पूर्व कोई निवेश नहीं किया गया है।
5.	**पात्र पूंजी निवेश** (*ईसीआई)*	**56.99**	--

नोट- उक्त गणना वास्तविक सत्यापन के अधीन होगी।

1. चूंकि आवेदक द्वारा शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति की मांग की गई है, अतः पत्र संख्या जीएसटी ऑडिट/2023-24/212/राज्य कर दिनांक 25 जुलाई 2023 के माध्यम से वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों की मांग की गई है, तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत औद्योगिक निवेश एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 हेतु शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति पर जीएसटी मानक संचालन प्रक्रिया लागू होगी।

2. वाणिज्य कर विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ.नं.-79/जी.एस.टी. ऑडिट/2023-24/65/राज्य कर दिनांक 04 जून 2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विस्तारीकरण एवं विविधीकरण के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों हेतु पृथक जीएसटीआईएन की आवश्यकता नहीं है।

6. कानपुर प्लास्टिपैक लि.

i. कानपुर प्लास्टीपैक लि. द्वारा ₹88.08 करोड़ के प्रस्तावित निवेश से गाटा संख्या 128 ग्राम श्यामपुर रायपुर गजनेर रोड फतेहपुर रोशनाईक कानपुर देहात-209121 में प्लास्टिक उत्पादों हेतु एक नवीन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करना प्रस्तावित किया गया है।

ii. आवेदक द्वारा भवन, संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश प्रारम्भ करने की तिथि दिनांक 30.11.2021 इंगित की गई है।

iii. प्रस्तावित निवेश एकल चरण में किया जाएगा।

iv. आवेदक द्वारा दिनांक 30.06.2023 को परियोजना पूर्ण कर दी गई तथा दिनांक 01.09.2023 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया गया है।

v. आवेदक इकाई के प्रस्तावित निवेश की गणना निम्नवत पाई गई है-

क्र.सं.	**निवेश शीर्ष**	**मूल्य (₹ करोड़)**	**टिप्पणी**
1.	प्रस्तावित निवेश	88.08	-
2.	घटाया- अपात्र निवेश	10.38	औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 में भवन से तात्पर्य प्रशासनिक भवन सहित निर्माण किए गए नये भवन से है, अधिग्रहण किए गए पुराने भवन से नहीं। (नोट : क्रय किया गया भवन विद्यमान संरचना का अधिग्रहण है तथा परियोजना की आवश्यकता के अनुसार उपांतरित है, अतः नीति के अनुसार वर्जित है।
3.	कुल पूंजी निवेश (1-2)	77.70	-
अ.	भूमि एवं भवन की कुल लागत	11.35	भूमि एवं भवन की कुल लागत 211.35 करोड़ है, जो कुल पूंजी निवेश का लगभग 14 प्रतिशत है। चूंकि भूमि एवं भवन की कुल लागत 30 प्रतिशत से कम है. अतः पूंजी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			निवेश की गणना में भूमि एवं भवन का कुल मूल्य विचारित किया जाएगा। (नोट : क्रय किया गया भवन विद्यमान संरचना का अधिग्रहण है तथा परियोजना की आवश्यकता के अनुसार उपांतरित है, अत: नीति के अनुसार वर्जित है।
4.	**पूंजी निवेश**	**77.70**	
	घटाया : (प्रभावी तिथि 04.11.2022 से पूर्व किया गया निवेश)	12.94	दिनांक 04.11.2022 के पूर्व ₹12.94 करोड़ की कुल धनराशि का निवेश किया गया। (कुल पूंजी निवेश की गणना के समय की गई स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क एवं भवन की लागत की कटौती को छोड़ कर)
5.	**पात्र पूंजी निवेश *(ईसीआई)***	**64.76**	-

नोट- उक्त गणना वास्तविक सत्यापन के अधीन होगी।

आवेदक ने दिनांक 01.09.2023 को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया तथा लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) की स्वीकृति हेतु दिनांक 28.02.2024 को आवेदन प्रस्तुत किया है. अर्थात् वाणिज्यिक उत्पादन के लगभग 5 माह के उपरांत आवेदन किया गया है। प्राधिकृत समिति द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने के उपरांत एलओसी निर्गत करने हेतु आवेदन स्वीकार किए जाने तथा साथ ही प्रोत्साहन वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से लागू किए जाने की संस्तुति की गई।

7. कजारिया सेरामिक्स लि.

1. कजारिया सेरामिक्स लि. द्वारा ₹110.00 करोड़ के प्रस्तावित निवेश से जनपद बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश (पश्चिमान्चल) में सिरेमिक एवं विट्रीफाइड टाइल्स, सेनेटरी वेयर, नल, टाइल एडहेसिव तथा ग्राउट के विनिर्माण की प्रस्तावित विस्तारीकरण इकाई हेतु 'पूंजीगत सब्सिडी विकल्प के लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।
2. आवेदक इकाई के प्रस्तावित निवेश की गणना निम्नवत पाई गई है-

विवरण	धनराशि (₹ करोड़)	टिप्पणी
प्रस्तावित निवेश	**110.00**	
घटाया (औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022	(8.29)	फर्नीचर एवं फिक्सचर हेतु 20.09 करोड संचालन-पूर्व व्यय हेतु ₹8.20 करोड

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के प्रस्तर 12.1.6 एवं 12.1.7 के अंतर्गत अस्वीकृत शीर्ष)		
कुल पूंजीगत निवेश*	**101.71**	
घटाया (भूमि एवं भवन की अस्वीकृत लागत का समायोजन किया जाएगा) (प्रस्तर 12.1.6 के अंतर्गत)	-	भूमि एवं भवन की कुल लागत ₹483 करोड़ है, जो कुल पूंजी निवेश का लगभग 4.74 प्रतिशत है। चूंकि भूमि एक भवन की लागत का कुल योग 30 प्रतिशत से कम है. अतः कुल पूंजी निवेश की गणना में उसका संपूर्ण मूल्य विचारित किया जाएगा।
पूंजी निवेश*	**101.71**	
घटाया (प्रभावी तिथि के पूर्व किया गया निवेश) (नीति के प्रस्तर 12.1.10 के अंतर्गत)	(0.22)	दिनांक 04.11.2022 के पूर्व ₹0.22 करोड की कुल धनराशि का निवेश किया गया।
पात्र पूंजी निवेश*	**101.49**	

नोट- उक्त गणना वास्तविक सत्यापन के अधीन होगी।

3. समिति द्वारा टिप्पणी की गई कि आवेदक द्वारा दिनांक 10.08.2023 को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया तथा लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) की स्वीकृति हेतु दिनांक 28.03.2024 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है, अर्थात् वाणिज्यिक उत्पादन के लगभग 7 माह के उपरांत आवेदन किया गया है। प्राधिकृत समिति द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने के उपरांत एलओसी निर्गत किए जाने हेतु आवेदन स्वीकार करने की तथा साथ ही प्रोत्साहन वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से लागू करने की संस्तुति की गई।

3- अत: उपर्युक्तानुसार वर्णित तथ्यों, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 एवं तदनुक्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-21/2023/1307/77-6-2023-2(एम)/2023 दिनांक 14.04.2023 तथा पत्र संख्या-1248/77-6-2024-6099/228/2023 दिनांक 09.07.2024 एवं पत्र संख्या-1592/77-6-2024-6099/228/2023 दिनांक 23.07.2024 द्वारा निर्गत इम्पावर्ड कमेटी के कार्यवृत्त में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा श्री राज्यपाल उक्त सात औद्योगिक इकाईयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,

अनिल कुमार सागर

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 40/2024/2023(1)/77-6-24-6099/323/2022 पार्ट-11तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/वित्त, न्याय, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, नियोजन, एमएसएमई, स्टाम्प एवं निबन्धन, राज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ।
5. निजी सचिव, सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा।
7. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
8. प्रबंध निदेशक, पिकप।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश यादव

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।